न्यायालय: – व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बिहर् जिला बालाघाट (म.प्र.) (पीठासीन अधिकारी:-सिराज अली)

व्यवहार वाद क्रमांक-73ए/2012 संस्थापन दिनांक-21.06.2012

रमेश कुमार पिता भैयालाल, उम्र 41 वर्ष, जाति लोधी निवासी-उड़दना, तहसील परसवाड़ा, जिला–बालाघाट (म.प्र.)

1—भैयालाल पिता नसरी, उम्र 65 वर्ष, जाति लोधी, निवासी-उडदना, तहसील परसवाडा, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

2-चेतनलाल पिता भैयालाल, उम्र 45 वर्ष, जाति लोधी, निवासी-उडदना, तहसील परसवाडा, जिला–बालाघाट (म.प्र.) कु महिला असार्य

3-महेश पिता भैयालाल, उम्र 35 वर्ष, जाति लोधी निवासी-उडदना, तहसील परसवाडा, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

4-रहेश पिता भैयालाल, उम्र 30 वर्ष, जाति लोधी, निवासी–उडदना, तहसील परसवाडा, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

5-सूरेश पिता भैयालाल, उम्र 33 वर्ष, जाति लोधी निवासी-जायटोला (लालबर्रा) तहसील वारासिवनी जिला–बालाघाट (म.प्र.)

6-उषाबाई पति भोजलाल, उम्र 27 वर्ष, जाति लोधी, निवासी–कोचेवाड़ा (लामता) तहसील व जिला–बालाघाट (म.प्र.)

7-सीमाबाई पति संतोष, उम्र 25 वर्ष, जाति लोधी, निवासी-जायगांव (बोरी) तहसील नैनपुर, जिला-मण्डला (म.प्र.)

8—बुधवारोबाई पति गुड्डु, उम्र 23 वर्ष, जाति लोधी, निवासी—केवलारी, तहसील केवलारी, जिला सिवनी (म.प्र.)

9—म.प्र.राज्य द्वारा कलेक्टर, बालाघाट, जिला बालाघाट (म.प्र.)

-:// <u>निर्णय</u> //:-(आज दिनांक-28/10/2014 को घोषित)

- 1— वादी ने प्रतिवादीगण के विरुध्द यह व्यवहार वाद मौजा उड़दना, प.ह.नं. 2, रा.नि.मं. व तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 353/3 में से रकबा 0.37 डिसमिल, खसरा नम्बर 355/1ख रकबा 0.25 डिसमिल, खसरा नम्बर 362/1 में से रकबा 0.09 डिसमिल भूमि कुल रकबा 0.71 डिसमिल भूमि (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जावेगा) पर स्वत्व की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है।
- 2— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी क्रमांक—1 का वादी पुत्र है तथा प्रतिवादी क्रमांक—2 से 8 शेष संतान है। विवादित भूमि सहित अन्य खसरा नम्बर की भूमियाँ पक्षकारगण की खानदानी भूमि है, जो प्रतिवादी क्रमांक—1 व उसके भाई मोहनलाल को उनके पिता नसरी के फौत उपरांत प्राप्त हुई। प्रतिवादी क्रमांक—1 व उसके भाई मोहनलाल के बीच पैतृक भूमि का बंटवारा होने के उपरांत विवादित भूमि सहित अन्य भूमियां प्रतिवादी क्रमांक—1 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई।
- 3— वादी के अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रतिवादी क्रमांक—1 ने पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार बंटवारे में प्राप्त भूमि को वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक—1 से 8 के मध्य विभाजन कर दिया। वादी को वर्ष 2003 में पारिवारिक विभाजन के तहत् विवादित भूमि प्राप्त हुई, जिस पर वह शांतिपूर्वक काश्त कर फसल प्राप्त कर रहा है तथा उक्त भूमि पर स्वयं के व्यय पर मकान भी बनाया है। प्रतिवादीगण ने एक राय होकर वर्ष 2012 में वादी के आधिपत्य वाली विवादित भूमि पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर प्रतिवादी क्रमांक—3 को उक्त भूमि बंटवारे में दिये जाने की बात कर वादी को बेदखल कर अपना कब्जा करने की धमकी दी। वादी ने विवादित भूमि पर स्वत्व

की घोषणा एवं विवादित भूमि पर बने मकान व भूमि से बेदखल करने से रोकने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा चाही है।

4— प्रतिवादी कमांक—1, 2, 4 ने स्वीकृत तथ्य को छोड़कर वादपत्र के सम्पूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए अभिवचन किया है कि प्रतिवादी कमांक—1 ने अपने सभी पुत्र व पुत्रियों के बीच प्राप्त भूमि का समान बंटवारा कर दिया है, जिस पर वे लोग बंटवारे अनुसार काबिज काश्त है। प्रतिवादी कमांक—1 के नाम पर कुल 6.18 एकड़ भूमि थी, जिस में से उसने पुत्री बुधवारों के विवाह के समय कुछ भूमि विकय कर दिया तथा वर्तमान में कुल 4.54 एकड़ भूमि शेष बची है। प्रतिवादी कमांक—1 ने वादी को उसके हिस्से की भूमि पूर्व में ही बंटवारे में दे चुका है, जिस पर वादी ने रहवासी मकान बनाया था, किन्तु वादी ने रहवासी मकान एवं 0.9 डिसमिल भूमि को 13 वर्ष पूर्व महेश को विकय कर दिया। वर्तमान में वादी, प्रतिवादी कमांक—5 के हिस्से की भूमि तथा मकान पर अवैध रूप से कब्जा करके रखा है। वादी को उसके हिस्से मात्र 0.37 डिसमिल भूमि प्राप्त हुई है तथा सभी पुत्रों को 0.37 डिसमिल भूमि अलग—अलग बंटवारे में मिली है। वादी ने प्रतिवादी कमांक—5 के मकान में जबरन कब्जा कर प्रतिवादीगण को परेशान करने के आशय से झूंठा वाद पेश किया है। अतएव वाद सव्यय निरस्त किया जावे।

5— प्रतिवादी क्रमांक—3, 5, 6, 7, 8, 9 प्रकरण में एकपक्षीय है तथा उनकी ओर से जवाबदावा पेश नहीं किया गया है।

6— उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नानुसार अंकित है :—

<u>क्रं</u> .	वाद—प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या मौजा उड़दना, प.ह.नं. 2, रा.नि.मं. व तहसील	
	परसवाड़ा जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 353/3,	प्रमाणित
	355 / 1ख, 362 / 1, रकबा क्रमशः 0.37, 0.25, 0.09	
	एकड़ कुल रकबा 0.71 एकड़ भूमि वादी ने प्रतिवादी	
	क्रमांक—1 से पारिवारिक बंटवारा में प्राप्त किया है ?	
2	क्या वादी उक्त विवादित भूमि पर स्वत्व की घोषणा	प्रमाणित
	प्राप्त करने का हकदार है ?	
3	क्या वादी ने पारिवारिक बंटवारा में प्राप्त भूमि पर स्वयं	प्रमाणित
	के व्यय पर मकान का निर्माण किया है ?	

4	क्या वादी के कब्जे वाले उक्त मकान पर प्रतिवादी कमांक—1 से 8 के द्वारा अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है ?	प्रमाणित
5	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की अंतिम
	A 7/2	कंडिका अनुसार

—:: <u>सकारण निष्कर्ष</u> ::— वादप्रश्न क्रमांक—1 से 4 का निराकरण

- 7— उक्त चारों वादप्रश्न का निराकरण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। यह साबित करने का भार वादी पर है कि विवादित भूमि को वादी ने प्रतिवादी क्रमांक—1 से पारिवारिक व्यवस्था में प्राप्त किया है व उक्त भूमि पर उसे स्वत्व प्राप्त हो चुका है। वादी ने अपने पक्ष समर्थन में विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख, राजस्व नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—1, प्रदर्श पी—2, किस्तबंदी खतौनी वर्ष 2010—11 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—3, प्रदर्श पी—4, प्रदर्श पी—5, प्रदर्श पी—6, पांच साला खसरा वर्ष 2009—10 से वर्ष 2010—11 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—7 पेश की है। उक्त दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान में विवादित भूमि सिहत सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी क्रमांक—1 भैयालाल के नाम पर दर्ज है। पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना प्रदर्श पी—8 से यह प्रकट होता है कि वादी ने उसे बंटवारे में प्राप्त भूमि व मकान के संबंध में उसके भाईयों के विरुद्ध विवाद होने पर रिपोर्ट लेख करायी थी।
- 8— प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि वादी को बंटवारे में प्राप्त होने के अभिवचन को स्पष्ट रूप से लिखित कथन में स्वीकार नहीं किया है, किन्तु लिखित कथन की कंडिका 9 में प्रतिवादी कमांक—1 भैयालाल के द्वारा अपने जीवनकाल में सभी पुत्र एवं पुत्रियों को अपनी भूमि का समान हिस्सा बंटवारा कर दिये जाने और बंटवारे अनुसार सभी अलग—अलग काबिज होने के अभिवचन किये है। प्रतिवादीगण ने लिखित कथन की कंडिका 13 में यह अभिवचन किया है कि वादी को उसके हिस्से में मात्र 0.37 डिसमिल भूमि प्राप्त हुई है। इस प्रकार प्रकरण में उक्त तथ्य स्वीकृत तथ्य के रूप में ग्राहय किये जाने योग्य है एवं वादी को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतिवादी क्रमांक—1 ने अपने जीवनकाल में उसकी भूमि का सभी संतानों के मध्य समान बंटवारा कर दिया और बंटवारा उपरांत सभी अपने—अपने हिस्से पर काबिज काश्त है।
- 9— प्रतिवादीगण ने अपने अभिवचन में वादी को उसके हिस्से में मात्र 0.37 डिसमिल भूमि बंटवारे में प्राप्त होने के अभिवचन किये है। यद्यपि उभयपक्ष की ओर से

कथित बंटवारे के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं है। प्रतिवादीगण की ओर से एकमात्र दस्तावेज भू—अधिकार एवं ऋण पुस्तिका प्रदर्श डी—1 प्रस्तुत है, जिसमें खातेदार रहेश कुमार का विवादित भूमि को छोड़कर अन्य भूमि पर नाम दर्ज है। वादी रमेश कुमार (वा.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में अपने अभिवचन के अनुरूप कथन किये है तथा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उनके मध्य लिखित बंटवारा नहीं हुआ है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने हिस्से में आयी जमीन को बंटवारे के एक साल बाद छोड़ दिया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसके हिस्से में केवल 0.35 डिसमिल भूमि आयी है और 0.71 डिसमिल भूमि नहीं आयी है। इस प्रकार के साक्षी के प्रतिपरीक्षण में प्रतिवादी पक्ष की ओर से उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है।

- 10— वादी ने अपने समर्थन में अन्य साक्षी लेखराम (वा.सा.2) की साक्ष्य करायी है, जिसने अपनी साक्ष्य में विवादित भूमि वादी को विभाजन में प्राप्त होने का समर्थन किया है। साक्षी ने वादी का इस संबंध में भी समार्थन किया है कि वादी के मकान में प्रतिवादीगण अवैध रूप से प्रवेश कर वादी को बेदखल करने की धमकी देते है। इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में प्रतिवादी पक्ष की ओर से उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है।
- 11— प्रतिवादी भैयालाल (प्र.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में अपने अभिवचन के अनुरूप कथन किये है तथा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने खसरा नम्बर 353/3 में से रकबा 0.37 एकड़ और खसरा नम्बर 362/1 रकबा 0.09 एकड़ भूमि बंटवारे में रमेश को दिया है, जिस पर रमेश का मकान बना है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि विवादित भूमि पर वादी का ही कब्जा है। इस प्रकार साक्षी ने स्पष्ट रूप से सभी पुत्रों के मध्य खानदानी भूमि का मौखिक बंटवारा करने के तथ्य को स्वीकार किया है। इस साक्षी ने अपने अभिवचन में वादी को उसके हिस्से में मात्र 0.37 डिसमिल भूमि प्राप्त होना प्रकट किया है, जबिक प्रतिपरीक्षण में उक्त भूमि के अलावा खसरा नम्बर 362/1 रकबा 0.09 डिसमिल भूमि वादी को मकान बनाने के लिये दिये जाने और उस पर वादी का मकान बना होने के तथ्य को स्वीकार किया है।
- 12— रहेश कुमार (प्र.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभिवचन के अनुरूप कथन किये है तथा प्रतिपरीक्षण में प्रतिवादी कमांक—1 के द्वारा सभी पुत्रों के मध्य पैतृक भूमि का बंटवारा हो जाने के तथ्य को स्वीकार किया गया है। साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह भी स्वीकार किया है कि वादी को 0.35 डिसमिल भूमि प्राप्त हुई थी तथा खसरा नम्बर 362/1 रकबा 0.09 डिसमिल भूमि पर रमेश का मकान बना हुआ है। इस प्रकार उभयपक्ष के अभिवचन एवं साक्ष्य को एकसाथ परिशीलन किये जाने पर यह अधिसंभावना प्रकट होती है कि वादी को प्रतिवादी क्रमांक—1 ने सर्वप्रथम उसके

हिस्से में मात्र खसरा नम्बर 353/3 रकबा 0.37 डिसमिल भूमि बंटवारे में दी थी तथा पश्चात् में सभी पुत्रों के बीच बंटवारा के समय खसरा नम्बर 355/1ख, 362/1, रकबा कमशः 0.25, 0.09 डिसमिल भूमि वादी को दी थी। इस प्रकार विवादित भूमि कुल रकबा 0.71 डिसमिल भूमि वादी को पारिवारिक विभाजन में प्राप्त होने तथा उस पर मकान सहित समस्त भूमि पर वादी के काबिज काश्त होने की अधिसंभावना प्रकट होती है।

- 13— प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि वादी विवादित भूमि के खसरा नम्बर 362/1 रकबा 0.09 डिसमिल भूमि पर स्वयं का मकान बनाकर आधिपत्य में है। इस प्रकार वादप्रश्न क्रमांक—3 सकारात्मक रूप से वादी के पक्ष में निराकृत किया जाता है।
- विवादित भूमि सहित प्रतिवादी क्रमांक—1 के नाम पर दर्ज भूमि उभयपक्ष की पैतृक भूमि होना स्वीकृत तथ्य है। पैतृक भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक—6 से 8 अर्थात प्रतिवादी क्रमांक—1 की पुत्रीगण ने कोई हक, अधिकार प्राप्त करने के संबंध में दावा या अभिवचन प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादी क्रमांक—1 ने अपने जीवनकाल में मौखिक बंटवारे के अंतर्गत पैतृक भूमि का स्वयं के साथ वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक—2 से 5 के मध्य विभाजन कर दिये जाने एवं उक्त बंटवारे अनुसार सभी अपने—अपने हिस्से पर काबिज होने की साक्ष्य प्रकरण में उपलब्ध है। उभयपक्ष की पैतृक भूमि का कुल रकबा वर्तमान में 4.54 एकड़ भूमि होना प्रतिवादीगण ने अपने अभिवचन में प्रकट किया है तथा रमेश (वा.सा.1) एवं लेखराम (वा.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त तथ्य को स्वीकार किया है। ऐसी दशा में उभयपक्ष की पैतृक भूमि का प्रतिवादी क्रमांक—1 व उसके पुत्रगण के मध्य आपसी सहमति से बंटवारा 6 अंशो में होने के आधार पर 4.54 एकड़ में से प्रत्येक अंशधारी को लगभग 0.75 एकड़ भूमि प्राप्त होने की उपधारणा की जा सकती है। उक्त तथ्य के आधार पर भी वादी का पैतृक भूमि पर 0.71 डिसमिल भूमि को पारिवारिक बंटवारे में प्राप्त होने के दावे को अस्वाभाविक नहीं माना जा सकता।
- 15— प्रतिवादीगण की ओर से पैतृक भूमि के पारिवारिक बंटवारे को चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी दशा में पारिवारिक बंटवारे के अनुसार सभी खातेदार का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं होने के बावजूद भी उक्त बंटवारा सभी पक्षकार पर बंधनकारी होना प्रकट होता है। प्रतिवादी कमांक—1, 2, 4 के अलावा अन्य प्रतिवादीगण ने प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत कर अपना पक्ष नहीं रखा है, जिससे यह अधिसंभावना प्रकट होती है कि पक्षकारगण के मध्य पैतृक भूमि का पारिवारिक बंटवारे के प्रति शेष प्रतिवादीगण समर्पित है। इस प्रकार प्रतिवादीगण पारिवारिक बंटवारा के अनुसार अपने

कार्य व आचरण से विबंधित होना प्रकट होते है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक—1 व 2 वादी के पक्ष में सकारात्मक रूप से निराकृत किया जाता है।

16— प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से यह अधिसंभावना प्रकट होती है कि प्रतिवादीगण के द्वारा वादी के आधिपत्य वाली विवादित भूमि पर हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। अतएव बंटवारे के उपरांत वादी का विवादित भूमि पर एकल आधिपत्य को संरक्षित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस कारण वादी विवादित भूमि पर उसके आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से रोकने हेतु प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है। अतएव वादप्रश्न क्मांक—1 से 4 वादी के पक्ष में 'प्रमाणित' के रूप में निराकृत किये जाते है।

सहायता एवं व्यय

- 17— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि वादी ने अपना वाद प्रमाणित किया है। अतएव वादी का वाद स्वीकार कर वाद में निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती है:—
 - (1) वादी को मौजा उड़दना, प.ह.नं. 2, रा.नि.मं. व तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 353/3, 355/1ख, 362/1, रकबा क्रमशः 0.37, 0.25, 0.09 एकड़ कुल रकबा 0.71 एकड़ भूमि पर स्वत्व प्राप्त है।
 - (2) उक्त विवादित भूमि पर बने वादी के मकान पर उसके आधिपत्य में प्रतिवादी क्रमांक—1 से 8 को अवैध हस्तक्षेप करने से रोकने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है।
 - (3) प्रतिवादीगण अपने साथ वादी का वाद व्यय भी वहन करेंगे तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी।

उपरोक्तानुसार आज्ञप्ति तैयार की जावे

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर (सिराज अली) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर